10/2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अव.प्रा.प.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.01.18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु समय चाहा गया। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.18 को पेश हो।

21/2/18 श्री अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित
पूर्व आदेश की पालना हेतु मिसल
दिनांक 27/2/18 को पेश हो।

27.02.18 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र एवं प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.03.18 को पेश हो।

07/3/18 पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 27/3/2018 को पेश हो। प्रा.पत्र खारिज

27/3/18 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना विरुद्ध अप्रार्थीगण श्री श्रवण कुमार, मुन्नालाल तेली, भूरामल, मनेश, रामनिवास, रामावतार व चांदमल इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दिनांक 20/9/16 को एकपक्षीय आदेश इस आशय का पारित किया गया कि उभयपक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि की यथास्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभुदयाल / श्रवणकुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म से जारी हुए
10/2016	अंकित किया गया था कि रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी करे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अवमानना मे बनाये गये अप्रार्थीगण मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पक्षकार ही नही थे। अत: मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दिया गया आदेश प्रार्थना पत्र अवमानना मे बनाये गये अप्रार्थीगण पर बाध्यकारी नही होने से उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अवमानना बाबत् नही बनता है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। sd/-	